



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082026-275437
CG-DL-E-13082026-275437

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4276]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2026/श्रावण 20, 1948

No. 4276]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2026/SHRAVAN 20, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2026

का.आ. 4454(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1399 (अ), दिनांक 27 सितंबर 2005 और तदुपरांत संशोधित का.आ. 973 (अ), दिनांक 09 अप्रैल 2015 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 67 के किमी 0.000 से किमी 218.200 (नागापट्टिनम – तंजावुर – त्रिची – करूर खंड) तक के हिस्सों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

और यतः, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, प्राधिकरण ने मेसर्स तंजावुर त्रिची टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय नंबर 55, द्वितीय तल, लेन-2, वेस्टएंड मार्ग, सैदुलजाब, गदाईपुर, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली-110030, दिल्ली में स्थित है (जिसे इसके पश्चात् "कंसेसनेयर" कहा गया है) के साथ दिनांक 09 जुलाई 2026 को तमिलनाडु राज्य में एनएच-67 (नया एनएच-83) के तंजावुर – त्रिची खंड के डिज़ाइन किमी 80+000 से डिज़ाइन किमी 121+570 तक (जिसे इसके पश्चात् उक्त खंड कहा गया है) तक के चार लेन पर टोल लगाने, संचालन और हस्तांतरण के लिए दिनांक 09 फरवरी 2026 को प्रस्तुत बोली के लिए एक करार (जिसे इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है) किया है।

अब, इसलिए, बोली की अंतिम तिथि तक इसके किसी भी अन्य अधिसूचित संशोधन सहित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात “नियम” कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या करने से छूटी हुई बातों को छोड़कर अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या 929 (अ) दिनांक 19 फरवरी 2025 का अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार, उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में शामिल व्यय, निवेश की गई पूंजी पर व्याज, उचित रिटर्न, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण और कंसेसनेयर द्वारा किए गए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के उपयोग के लिए तालिका 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर निवल सड़क खंड लंबाई 37.77 किमी (तालिका 2) के लिए नीचे तालिका -1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और 10 करोड़ रु. या उससे अधिक की लागत वाले 3.8 किमी लंबाई वाले बाईपास (तालिका 3) के लिए आधार दर के डेढ़ गुना पर शुल्क उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा तथा उक्त कंसेसनेयर को नियत तिथि या आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि, जो भी बाद में हो, से लेकर करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति की तिथि तक शुल्क संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत शुल्क ऐसे टोल प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, उपरोक्त तालिका 1 में उल्लिखित आधार दरों पर देय और संदेय होगी, अर्थात:-

सारणी -2		
टोल प्लाजा का स्थान (डिजाइन किलोमीटर [किमी])	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले में वलवनथंकोट्टई गांव, NH-83 के डिजाइन किमी 120+900 पर या तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में पुदुकुडी गांव के पास NH-83 के किमी 116+450 पर नया टोल प्लाजा [इस नए शुल्क प्लाजा पर शुल्क संग्रह शुरू होने पर, किमी 120+900 पर शुल्क प्लाजा का संचालन बंद माना जाएगा]	37.77 किमी [3.8 किमी बाईपास लंबाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए, ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (ओं) पर निम्न बाईपास (सों) के उपयोग के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का डेढ़ गुना शुल्क देय और संदेय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा (ओं) के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास (सों) लंबाई के लिए है:

सारणी -3						
शुल्क प्लाजा का स्थान	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले में वलवनथंकोट्टई गांव, NH-83 के डिजाइन किमी 120+900 पर या तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में पुदुकुडी गांव के पास NH-83 के किमी 116+450 पर नया टोल प्लाजा [इस नए शुल्क प्लाजा पर शुल्क संग्रह शुरू होने पर, किमी 120+900 पर शुल्क प्लाजा का संचालन बंद माना जाएगा]	वल्लम बाईपास	डिजाइन किमी 93+800 (विद्यमान किमी 93+320)	डिजाइन किमी 97+600 (विद्यमान किमी 97+350)	3.8	18.83	चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.00/-रुपए (तीन सौ साठ रूपए मात्र) है और उक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी-4		
संदेय धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. किसी यांत्रिक वाहन पर नियमों के अंतर्गत उसकी श्रेणी के लिए निर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदा हुआ है, तो उसे प्लाजा पार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता। संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, उक्त नियमों में लागू प्रावधान के अनुसार शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभारित वाहन के प्रवेश के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्: -

अधिकतम अनुज्ञेय सकल वाहन भार से अधिक भार का प्रतिशत	आधार दर में गुणन कारक	शुल्क
(1)	(2)	(3)
0% से 20%	दो	[[नियम 4 के उपनियम (2) के अंतर्गत यांत्रिक वाहन की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क) x (गुणन कारक)]
>20% से 40%	चार	
>40% से 60%	छह	
>60% से 80%	आठ	
>80% और उससे अधिक	दस	

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

8. यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा इसे कंसेसनेयर के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और उसके बाद उक्त नियम के नियम 5 और रियायत करार के उपबंधों के अनुसार इसे प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा; तथापि, बशर्ते कि ऐसा संशोधन शुल्क के पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि तक प्रभावी नहीं होगा।

[फा. सं. एफआईएनडीआईवी-16011(15)/1/2025-टीओटी/इन्विट प्रभाग/ई-259790]

चेतना नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2026

S.O. 4454(E). — Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1399 (E), dated the 27th September, 2005 and further amendment vide S.O.973(E), dated 09th April 2015, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches from Km. 0.000 to Km 218.200 (Nagapattinam – Thanjavur – Trichy – Karur section) of National Highway No.67 in the State of Tamil Nadu respectively to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s **Thanjavur Trichy Tollway Private Limited** having its registered office at No.55, 2nd Floor, Lane-2, Westend Marg, Saidulajab, Gadaipur, New Delhi, South West Delhi-110030, Delhi (hereinafter referred to as “Concessionaire”) on 09th July 2026 for the bid submitted on 09th February 2026 for the Tolling, Operation, Maintenance and Transfer of four lane of Thanjavur – Trichy section Design Km 80+000 to Design Km 121+570 of NH-67 (New NH-83) in the state of Tamil Nadu (hereinafter referred to as the said section) of the National Highway.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and any other its amendments notified thereof till bid due date) and in supersession of the Notification Number S.O. No. 929(E) dated 19.02.2025, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees for use of said section at the rates specified in column (2) of Table -1 below for net road section length 37.77 Km (Table-2) and at one and half times of the base rate for bypass having total length of 3.8 km (Table-3), costing rupees ten crore or more, on the type of vehicles specified in Column (1) of Table 1 and authorises the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the appointed date or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement, namely: -

Table 1	
Category of vehicle	Base rate of fee per Km for the Base Year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van, or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza, at the base rate mentioned in Table 1 above, for the distance specified for such Fee Plazas, namely: -

Table-2		
Location of Toll Plaza (Design Kilometre [Km])	Length (in km) for which Fee is Payable	Rate at which Fee is Payable
At design Km 120+900 of NH-83, Valavanthankottai Village, Tiruchirappalli District in the state of Tamil Nadu Or New Fee Plaza at Km 116+450 of NH-83 near Pudukudi village in district of Thanjavur in the state of Tamil Nadu <i>[Upon commencement of fee collection at this New Fee Plaza, operation of fee plaza at Km 120+900 shall be deemed discontinued]</i>	37.77 Km [Excluding bypass length 3.8 km]	100% for four or more lane of the base rates mentioned Table-1 above.

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Fee Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of Bypass(es) specified for such Fee Plaza(s):-

Table-3						
Location of Fee Plaza	Name of the bypass	Taking Off	Merging at	Length & cost of Bypass for which additional FEE is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km)	Cost (in Rs. Crores)	
At design Km 120+900 of NH-83, Valavanthankottai Village, Tiruchirappalli District in the state of Tamil Nadu Or New Fee Plaza at Km 116+450 of NH-83 near Pudukudi village in district of Thanjavur in the state of Tamil Nadu <i>[Upon commencement of fee collection at this New Fee Plaza, operation of fee plaza at Km 120+900 shall be deemed discontinued]</i>	Vallam Bypass	Design Km 93+800 (existing Km 93+320)	Design Km 97+600 (existing Km 97+350)	3.8	18.83	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 360/- (Rupees Three Hundred Sixty only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one-way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency as per the applicable provision in the said rules, namely:

Percentage of excess load over Maximum Permissible Gross Vehicular Weight	Multiplying Factor to the base rate	Fees
(1)	(2)	(3)
0% to 20%	Two	[(Fees applicable for such category of mechanical vehicle under sub-rule (2) of rule 4) x (Multiplying factor)]
>20% to 40%	Four	
>40% to 60%	Six	
>60% to 80%	Eight	
>80% and Above	Ten	

7. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.
8. Based on the base rate of fee per kilometre for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the authority in at least one newspaper in English and vernacular language through the concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rule and provisions of the concession agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of preceding revision of fee.

[F. No. FINDIV-16011(15)/1/2025-TOT/INVIT Division/E-259790]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.